Dr.Raman Kr.Thakur
Asstt.Prof.(Guest)
Deptt.of Economics.
D.B.College, Jaynagar.

Class:- B.A.part-1(Gen/Subsidiary).

Date:-18-07-2020

Topic:- **"कृषि वित्त एवं विपणन":-**

कृषि वित्त को मुख्यत:ग्रामीण साख भी कहते हैं।भारत के अधिकांश किसान गरीब है ।किसानों को अनेक कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को मिलने वाला ऋण कई प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकता को तीन प्रकार के ऋणों से पूरा किया जाता है जो इस प्रकार से देखा जा सकता है:-

1)अल्पकालीन ऋण.
2) मध्यमकालीन ऋण तथा
3)दीर्घकालीन ऋण.

***भारत में ग्रामीण साख के स्रोत**
(Source of Rural Credit in india):-

भारत में ग्रामीण साख की सुविधा प्रदान करने वाले स्रोत निम्नलिखित है:-

* निजी संस्थाएं- साहूकार, देशी बैंक.
* वित्तीय संस्थाएं- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, व्यापारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.
* सरकार.

* कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह:-
वर्तमान में लगभग 65% ऋण संस्थानात्मक स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। संस्थागत स्रोतों से कृषि साख की कुल राशि 1992-93 में 15,169 करोड रुपए थी जो 2010 में बढ़कर 384514 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2010-11 के लिए यह राशि बढ़कर 375000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

* **किसान क्रेडिट कार्ड योजना**(KCC):-

इसकी शुरुआत 1998-99 में हुआ था. इसका उद्देश्य किसानों को आसानी से अल्पावधि एवं दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

* राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(NAIS):- देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई थी। अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का प्रारंभ 1999-2000 में किया गया था. इस योजना का उद्देश्य -बाढ़ ,सूखे, चक्रवात, ओलावृष्टि जैसे- प्राकृतिक विपदाओं और कीटों व बीमारियों के कारण होने वाली छती से किसानों का संरक्षण किया जाता है।

* कृषि विपणन(Agriculture marketing):- कृषि उपज का एक अतिरिक्त भाग बाजार में बेचना कृषि विपणन कहलाता है अर्थात कृषि विक्रेता तथा कृषि विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो इस प्रकार से देखा जा सकता है:-
1) कृषि उत्पाद का उत्पादन करना,
2) माल का एकीकरण करना.
3)कृषि उत्पाद को सवारना.
4) कृषि उत्पादों का वर्गीकरण करना.
5) कृषि उत्पादों को गोदाम में रखना.
6) कृषि उत्पादों को मंडी तक ले जाना.
7) विक्रय करना.

8) जोखिम वहन करना.
9) वित्त व्यवस्था करना आदि.

*भारत में कृषि विपणन प्रणाली
(Agriculture marketing System in India):-

भारत में कृषि उत्पादों का विपणन निम्न संगठनों के माध्यम से होता है: -

1) गांव में बिक्री
2)मंडियों में बिक्री
3) सहकारी समितियों द्वारा विक्रय
4)सरकार द्वारा क्रय
5)बंदरगाहों पर बाजार।